



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलैंड, कोच्चिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant



An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422
Fax: 0484-2668468
Ph: 0484-2666861-64/774/776

परिपत्र CIRCULAR.No.02/2019

विषय : सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की दिनांक 18.12.2018 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में।

Sub: Customs Clearance Facilitation Committee - Minutes of the meeting held on 18.12.2018 Reg.

सीमा शुल्क निकासी सुविधा समिति की बैठक सेवाशुल्क गृह, कोचीन के सम्मेलन हॉल में 18.12.2018 को पूर्वाह्न 10.15 बजे आयोजित की गई थी। आयुक्त महोदय श्री सुमित कुमार, आई आर एस, ने बैठक की अध्यक्षता की।

Meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee was held at 10.15 am on 18.12.2018 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri. Sumit Kumar, IRS, Commissioner chaired the meeting.

सीमाशुल्क के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे:- सुश्री/श्री/श्रीमती

The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

1. बी जी कृष्णन, आई आर एस, संयुक्त आयुक्त B G Krishnan, IRS, Joint Commissioner
2. महेंद्र वर्मा आर ए, आई आर एस, उप आयुक्त Mahendra Verma R A, IRS, Deputy Commissioner
3. डॉ. राजी एन एस, आई आर एस, उप आयुक्त Dr.Raji N S, IRS, Deputy Commissioner
4. वी ए मोइदीन नैना, आई आर एस, सहायक आयुक्त V A Moideen Naina, IRS, Assistant Commissioner
5. साबू सेबेस्टेयन, आई आर एस, सहायक आयुक्त Sabu Sebastain, IRS, Assistant Commissioner
6. फिलिप सेबेस्टेयन, आई आर एस, सहायक आयुक्त Phillip Sebastain, IRS, Assistant Commissioner
7. जोसेफ सेबेस्टेयन, आईआरएस, सहायक आयुक्त Joseph Sebastain, IRS, Assistant Commissioner
8. भुवनचंद्रन पी, वैज्ञानिक ई ' , एन आई सी Bhuvanachandran P, Scientist E', NIC
9. बैजू डैनियल, मूल्यनिरूपक अधिकारी Baiju Daniel, Appraising Officer
10. वी उषा, सीमा शुल्क अधीक्षक V Usha, Superintendent of Customs
11. ए एन जोजो, सीमा शुल्क अधीक्षक A N Jojo, Superintendent of Customs

व्यापार तथा व्यापार से संबंधित अन्य सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित द्वारा किया गया ;
सुश्री/श्री

The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by
S/Shri: .

1. राज विनोद, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट Raj Vinod, Cochin Port Trust
2. एस एस सिद्ध, प्लांट क्वारंटाइन S S Sidhu, Plant Quarantine
3. डॉ. जेस्टो जॉर्ज, एफ एस एस ए आई Dr. Jesto George, FSSAI
4. बी वेणु, वस्त्र समिति B Venu, Textile Committee
5. सुधा एस नायर, केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन Sudha S Nair, Central Drugs Control Organisation

सभापति ने बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। पिछली बैठक के कार्यवृत्तों और मुद्दों के संबंध में की गई कार्रवाई पर चर्चा की गई। चूंकि हितधारकों द्वारा चर्चा के लिए कोई लिखित बिंदु प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए अध्यक्ष ने उपस्थित हितधारकों से अनुरोध किया कि क्या वे कोई मौखिक प्रस्तुत करना चाहते हैं।

The Chair welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points was discussed. Since there was no written points for discussion submitted by the stake holders the Chair requested the stakeholders present whether they would like to make any oral submission.

चर्चा के लिए नए बिन्दु **FRESH POINTS FOR DISCUSSION**

बिन्दु संख्या **Point No. 1** एफ एस एस ए आई के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना निकासी
Clearance without FSSAI NOC

प्राधिकृत अधिकारी डॉ. जेस्टो जॉर्ज द्वारा बताया गया कि सामानों को कुछ बिलों में आयात किया गया था, जिन्हें सिस्टम में एफ एस एस ए आई को भेजा गया था, लेकिन उनके द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने के कारण अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रभार से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकांश बिल ई ओ यू / डी ई ई सी योजनाओं के थे जिन्हें एफ एस एस ए आई से छूट दी गई थी। उन्होंने कहा कि यद्यपि एफ एस एस ए आई के नियमों 2017 के अनुसार बिलों को एफ एस एस ए आई से छूट प्राप्त थी, परंतु उन बिलों के संबंध में एफ एस एस ए आई प्राधिकारियों द्वारा प्रणाली में निकासी के अनुपालन करने की आवश्यकता थी, जहाँ उन्हें सिस्टम में सांख्यिकीय या कानूनी प्रयोजनों के लिए संदर्भित किया गया था।

It was informed by the authorized officer Dr. Jesto George that the goods imported vide certain bills which were referred to FSSAI in the system but not granted NOC by them were granted out of charge by the officers. He clarified that most of the bills were of EOU/DEEC schemes which were exempted from FSSAI. He submitted that even though the bills were exempted from FSSAI as per FSSAI regulations 2017, the clearances in the system by the FSSAI authorities was required to be complied in respect of the bills which were referred to them in the system for statistical / legal purposes.

अध्यक्ष ने उन्हें सूचित किया कि भविष्य में अनुपालन के लिए इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा।

The Chair informed him that the issue would be looked into for compliance in future.

(कार्रवाई के लिए: सहायक आयुक्त (डॉक्स) **For
Action: Assistant Commissioner (Docks)**)

बिन्दु संख्या **Point No. 2** अधिकारियों का प्रशिक्षण **Training of Officers**

अध्यक्ष ने सी सी एफ सी के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे माल को मंजूरी देने से पहले उनके द्वारा सत्यापित किए जाने वाले पी जी ए के अनुपालन से संबंधित विभागीय अधिकारियों को परिचित और शिक्षित करने के लिए सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को कार्यशाला / प्रशिक्षण प्रदान करें। प्रशिक्षण पीजीए अधिकारियों द्वारा पोर्ट ट्रस्ट, सीआईएएल, एफपीओ जैसे स्थानों पर आयोजित किया जा सकता है।

The Chair requested the members of the CCFC to conduct workshops/trainings to the officers of the Customs Department in order to familiarize and educate the departmental officers regarding the compliances of the PGA to be verified by them before granting clearances to the goods. The training may be conducted at the locations like Port trust, CIAL, FPO by the PGA authorities.

बिन्दु संख्या **Point No. 3** सिस्टम में गड़बड़ी **System error**

एफ एस एस ए आई के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अध्यक्ष के संज्ञान में यह बात लाई कि कई बार सिस्टम में गड़बड़ी के कारण एफ एस एस ए आई की आवश्यकता वाले बिल सिस्टम में एफ एस एस ए आई के रूप में चिह्नित नहीं होते। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में सी एच ए एफ एस एस ए आई प्राधिकारियों से मैन्युअल रूप से अनुरोध कर सकता है जिसे मैन्युअल रूप से संसाधित किया जाएगा।

It was brought to the notice of the Chair by the authorized officer of FSSAI that at times due to system error the bills containing goods requiring FSSAI do not get marked to FSSAI in the system. He suggested that in such cases the CHA can file the request manually with the FSSAI authorities which shall be processed manually.

(कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं No Action required)

बिन्दु संख्या **Point No. 4** वस्त्र समिति **Textile Committee**

वस्त्र समिति के श्री बी वेणु ने कहा कि कपड़ा समिति सी एफ एस के एस आई ई परिसर में स्थित है। उन्होंने कहा कि परीक्षण के लिए नमूनों की प्राप्ति में देरी हुई क्योंकि सभी नमूने पहले सेवाशुल्क गृह और तदनंतर कपड़ा समिति को भेजे गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कपड़े के नमूने लिए एच एस कोड का पता लगाया जाना है, तो नमूना वस्त्र समिति की कन्नूर प्रयोगशाला को भेजना पड़ता है। यह प्रक्रिया परीक्षा परिणाम में और विलंब लाती है। उन्होंने कोचीन लैब को उन्नयित करने के लिए परीक्षण के लिए नमूनों की संख्या में वृद्धि का अनुरोध किया।

Shri B Venu, Textile Committee submitted that the Textile Committee is situated at the CFS KSIE Campus. He submitted that there was a delay in receipt of samples for test as all the samples were sent to Custom House first and to the Textile Committee. He also submitted that in case the HS code for the Textile item is to be ascertained the sample has to be forwarded to the Kannur lab of Textile Committee. This process further delays the test result. He requested for increase in the number of samples for testing in order to upgrade the Cochin lab.

अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि इस मामले पर ध्यान दिया जाएगा, हालांकि जहां तक नमूनों की वृद्धि का संबंध है, इसमें बहुत अधिक बदलाव नहीं हो सकता है क्योंकि कोचीन पोर्ट/हवाई अड्डे के माध्यम से आयातित वस्त्र सामानों के लिए नमूना लेने की आवश्यकता सीमित थी।

The Chair assured that the matter would be looked into, however as far as the increase in samples are concerned there may not be much change as the number of Textile goods imported through Cochin Port / Airport requiring sampling was limited.

(कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं No Action required)

चूँकि कोई अन्य बिंदु चर्चा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए अध्यक्ष ने सदस्यों के धन्यवाद के साथ बैठक की समाप्ति की घोषणा की। सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट www.cochincustomer.nic.in के माध्यम से सूचित की जाएगी। चर्चा के लिए यदि कोई बिन्दु हो तो उसे भेजा जा सकता है। यदि कोई पूछताछ हो तो टेलीफोन नंबर 0484-2667040 पर या ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com पर ईमेल किया जाए।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks to the members. The date for next meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com.

हस्ता Sd/-

(सुमित कुमार, आई आर एस
Sumit Kumar, IRS)
आयुक्त Commissioner

F.No. S.65/01/2015-Pt.I-CCU-CUS

दिनांक Dated: 15.01.2019

//सत्यापित Attested//

(बैजू डैनियल, Baiju Daniel)

मूल्यनिरूपक अधिकारी **Appraising Officer (सी सी यू CCU)**

को प्रस्तुत Submitted to:

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, तिरुवनन्तपुरम ज़ोन, कोचीन **The Chief Commissioner of Central Tax , Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone, Kochi.**
2. अपर महानिदेशक, करदाता सेवा निदेशालय, बेंगलुरु ज़ोनल यूनिट, 4th फ्लोर टी टी एम सी बिल्डिंग , बी एम टी सी बस स्टैंड के ऊपर, दोम्मलूर, बेंगलुरु-560071 **The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building, Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.**

प्रतिलिपि Copy to:

संयुक्त आयुक्त **Joint Commissioner**
सभी आयुक्त तथा सहायक आयुक्त **All D.Cs & A.Cs**
सभी सदस्य **All members**